//

न्यायालय–जिलाधिकारी, सहरसा।

आँगनबाड़ी अपील वाद संख्या – 23/2016

कुमकुम कुमारी बनाम राज्य एवं अन्य

– :: आदेश :: –

प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपील अपीलार्थी कुमकुम कुमारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा 23.5.18 के वाद संख्या–25/2013–14 में दिनांक–27.05.2014 को पारित चयन मुक्ति आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी का कहना है कि वाद संख्या–25/2013–14 में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक–714–1, दिनांक–27.05.2014 द्वारा अपीलार्थी को चयन मुक्त किये जाने संबंधी पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील दाखिल किया गया है।

02. अपीलार्थी इससे पूर्व न तो उच्च न्यायालय या समाज कल्याण निदेशालय में कोई रीट याचिका या याचिका दायर किया है।

03. अपीलार्थी का चयन बतौर आँगनबाड़ी सेविका आँगनबाड़ी केन्द्र राजनपुर, तीरासी टोला वार्ड नं0–13 के केन्द्र संख्या–150 पर दिनांक–02.08.2013 को पोषक क्षेत्र के लाभुक वर्गो के महिला एवं लाभार्थियों की उपस्थिति में चयन समिति द्वारा मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के तहत की गयी।

04. आम सभा के मुताबिक सही–सही रूप से आवेदिका के अर्हत्ता एवं अन्य अपेक्षित कागजातों की जाँच कर व सत्य पाकर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी के कार्यालय ज्ञापांक–602, दिनांक–20.08.2013 द्वारा चयन पत्र निर्गत किया गया।

05. अपीलार्थी को चयन पत्र निर्गत होने के उपरान्त रूबी भारती जो आम सभा में उपस्थित नहीं थी, सरासर गलत वो तथ्यहीन आरोप लगाकर निम्न न्यायालय के समक्ष वाद दायर की, जिसमें अपीलार्थी को विपक्षी संख्या–04 बनाया गया। निम्न न्यायालय द्वारा वाद 25/2013–14 दर्ज कर अपीलार्थी को नोटिस किया गया, जिस पर अपीलार्थी न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जबाब सबूत पेश किया कि कुल सात अभ्यर्थियों में से मात्र दो अभ्यर्थी (1) नीलम देवी एवं (2) कुमकुम कुमारी आम सभा में उपस्थित हुई। कुमारी रूबी भारती के आम सभा में अनुपस्थित रहने के कारण रूबी भारती के आवेदन पर विचार के उपरान्त आम सभा द्वारा उनके आवेदन को खारीज कर दिया गया तथा उपस्थित दोनों अभ्यर्थियों में नीलम देवी के आवेदन पर विचार हुआ, जिसमें आपत्ति हुआ कि नीलम देवी वर्तमान मे उक्त केन्द्र पर सहायिका के रूप में कार्यरत है। सहायिका के चयन के समय इनकी शैक्षणिक योग्यता सातवाँ उर्त्तीण तथा जन्म तिथि–10.02.1977 दर्ज हैं। सेविका पद हेतु दिये आवेदन में शैक्षणिक प्रमाण–पत्र मध्यमा उर्त्तीण में जन्म तिथि–10.02.1984 दर्ज हैं, जो सर्वथा गलत है तथा इनका प्रमाण–पत्र भी गलत है और तब कुमकुम कुमारी आवेदिका के आवेदन पर विचार किया गया और सभी अर्हता को सही पाकर पैनल के क्रमांक–02 पर रखा गया। आम सभा कार्यवाही पंजी प्रस्ताव–07 में उल्लेखित है कि नीलम कुमारी के विरूद्ध दाखिल आपत्ति का मिलान कार्यालय अभिलेख से करने पर सही पाये जाने पर चयन पत्र निर्गत किया जायेगा अन्यथा मेधा क्रम में उपस्थित कुमकुम कुमारी का दूसरे वार्ड से चयन किया जायेगा चूँकि पोषक क्षेत्र में योग्य उम्मीदवार भी है तथा शेष सभी अनुपस्थित हैं। इस प्रकार कार्यालय अभिलेख से मिलान कराने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी ने पाया कि नीलम देवी की जन्म तिथि में भिन्नता है जो स्पष्ट रूप से सेविका पद हेतु दाखिल प्रमाण पत्र को फर्जी साबित करता है। तब अपीलार्थी कुमकुम कुमारी को चयन पत्र दिया गया। चयन पत्र देने से पूर्व कुमकुम कुमारी के ससुर पैक्स सदस्य ने अपना त्याग–पत्र दे दिया था। इस प्रकार अपीलार्थी का चयन विधिवत आम सभा द्वारा किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा सारे तथ्यों पर विचार करने के बाद कुमारी रूबी भारती के द्वारा दाखिल वाद को खारीज किया गया, किन्तु आश्चर्यजनक रूप से बगैर तथ्यात्मक न्यायिक विवेचना के महज काल्पनिक रूप से न्याय के विरूद्ध आवेदिका के विधिवत चयन को निरस्त करते हुए नीलम देवी जो निम्न न्यायालय में पक्षकार भी नहीं थी, न हीं न्यायालय के समक्ष कभी उपस्थित हुई, बिल्कुल फर्जी प्रमाण–पत्र के आधार पर आवेदन की थी, जिसे आम सभा ने अयोग्य करार दिया के चयन का आदेश पारित करते हुए वाद को अवैधानिक रूप से खारीज कर दिया गया है।

06. निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत अपील दाखिल किया गया।

अपीलार्थी ने अपील का आधार निम्न प्रकार बतलाया है :–

i. निम्न न्यायालय आदेश न्याय की दृष्टि से पूर्ण तथा दोषपूर्ण एवं गैर तार्किक है।
ii. निम्न न्यायालय द्वारा न्यायिक दिमाग का उपयोग किये बिना रूटिन मैनर में आदेश पारित किया गया हैं।
iii. निम्न न्यायालय ने नियम एवं कानून के मूलभूत सिद्धांत का उल्लंघन कर आदेश पारित किया है।

28.5.18

चूँकि विपक्षी संख्या–3 नीलम देवी निम्न न्यायालय के समक्ष वाद में न तो वादी थी न ही प्रतिवादी और न ही न्यायालय ने उसे मध्यवर्त्ती पक्षकार बनाया था और बगैर पक्षकार के नीलम देवी के पक्ष में आदेश पारित कर दिया, जो न केवल अनुचित है, बल्कि स्पष्टतया पक्षपात है।

iv. आम सभा के समक्ष नीलम देवी के विरूद्ध उठाये गये आपत्ति कि बतौर सहायिका 2007 में नीलम देवी आवेदक भी थी, जिसमें शैक्षणिक योग्यता 7वॉं उर्त्तीण तथा जन्म तिथि–10.02.1977 दिखलाया गया।

v. दिनांक–14.06.2007 को आहूत आम सभा में नीलम देवी ने बतौर सेविका दाखिल आवेदन में शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में जन्म तिथि–10.02.1984 दिया है जो स्वतः संदेहास्पद, कुटरचना का स्पष्ट प्रमाण है।

vi. नीलम देवी द्वारा सेविका पद हेतु दाखिल आवेदन के कण्डिका–1(6) में जन्म तिथि 01.02.1984 दर्ज किया है तथा कंडिका–10 में शैक्षणिक योग्यता में मध्यमा वर्ष 2007 मनमोद संस्कृत उच्च विद्यालय, बघवा दर्शाया है। उल्लेखनीय है कि जब वर्ष 2007 में विपक्षी सहायिका के लिए चयनित हुई थी तब सप्तम वर्ग उर्त्तीण थी और जन्म तिथि–10.02.1977 था, फिर किस परिस्थिति में सेविका पद हेतु दाखिल आवेदन में मध्यमा उर्त्तीण तथा जन्म तिथि–10.02.1984 दर्शाया गया है, जो उनके धोखाधड़ी व कुटरचना का स्पष्ट प्रमाण है।

vii. आम सभा में जब बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी द्वारा आपत्ति पर कार्यालय अभिलेख से मिलान के बाद आपत्ति को सहायिका नीलम देवी को सेविका पद के अयोग्य करार दिया गया और आम सभा द्वारा तैयार पैनल के दूसरे स्थान के अभ्यर्थी को चयन पत्र निर्गत किया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आम सभा के समक्ष अपीलार्थी कुमकुम कुमारी के ससुर मनोज सिंह पैक्स सदस्य हैं, जो जन प्रतिनिधि की श्रेणी में नहीं आते हैं और अपना त्याग–पत्र दिनांक–06.08.2013 को ही दे दिया गया। यहाँ यह भी स्पष्ट उल्लेखित है कि कुमकुम कुमारी के देवर सरकारी डॉक्टर नहीं और प्राईवेट रूप से राज्य के बाहर कलकत्ता में प्रैक्टिस करते हैं इस तथ्य को नजर अंदाज कर दिया गया।

viii. निम्न न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी का यह भी कहना था कि प्रथम आम सभा दिनांक–04.06.2013 को हुआ, लेकिन ग्रामीणों द्वारा बहिष्कार किये जाने के कारण स्थगित कर दिया गया तथा पुनः दिनांक–02.08.2013 को आम सभा का आयोजन हुआ। मैंपिंग पंजी के आधार पर अति पिछड़ा वर्ग बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया, जिसमें कुल सात अभ्यर्थियों में मात्र दो अभ्यर्थी नीलम देवी एवं कुमकुम कुमारी हीं उपस्थित हुई। कुमकुम कुमारी के बारे में प्रस्ताव संख्या–6 में दर्ज है तथा प्रस्ताव संख्या–7 में नीलम देवी के बारे में दर्ज है कि नीलम देवी के विरूद्ध लगाये गये आरोप कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर सही पाया गया, इसलिए उनका चयन न कर अपीलार्थी का चयन किया गया। निम्न न्यायालय के समक्ष वादिनी कुमारी रूबी भारती आम सभा मे अनुपस्थित थी व दाखिल वाद में निम्न न्यायालय से यह तथ्य छिपायी कि वर्तमान मे वार्ड नं0–11 की सहायिका है तथा उसके पति निर्वाचित पंच वार्ड नं0–11 के हैं तथा उनकी शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी गलत है। चूँकि कुमारी रूबी भारती द्वारा दाखिल मध्यमा उर्त्तीण का वर्ष 2007 है, जबकि प्रवेश पत्र पर प्रधानाध्यापक का दिनांक–01.12.2008 का हस्ताक्षर है। प्रवेश पत्र तथा विद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र पर प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर में काफी भिन्नता हैं, जिस आधार पर कुमारी रूबी भारती के द्वारा दाखिल वाद को निम्न न्यायालय द्वारा खारीज कर दिया गया।

ix. विपक्षी नीलम देवी जानती थी कि बतौर सहायिका सप्तम वर्ग 2007 में उर्त्तीण प्रमाण–पत्र में जन्म तिथि–10.02.1977 है तथा सेविका हेतु दाखिल आवेदन में वर्ष 2007 में उर्त्तीण मध्यमा को अगर सही माना गया तो क्या सप्तम वर्ग उर्त्तीण अभ्यर्थी को सेविका पद पर चयन का कोई प्रावधान है।

x. निम्न न्यायालय का आदेश तथ्यहीन, न्यायिक रूप से विवेकहीन आदेश पारित कर अपीलार्थी जो विधिवत रूप से चयनित थी को निम्न न्यायालय द्वारा चयन मुक्त कर दिया गया है।

अन्ततः अपीलार्थी ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक–714–1, दिनांक–27.05.2014 को निरस्त कर दिनांक–02.08.2013 को आम सभा द्वारा चयनित अपीलार्थी के चयन को बरकरार रखने की याचना की हैं।

प्रतिपक्षी नीलम देवी ने अपने प्रत्युत्तर में कहा है कि :–

01. अपीलार्थी का अपील झूठा, मनगढंत, जाल–फरेब व काबिले खारीज लायक है।

02. विपक्षी का चयन महिषी बाल विकास परियोजनान्तर्गत ग्राम पंचायत राजनपुर के आँगनबाड़ी केन्द्र तिरासी टोला, केन्द्र संख्या–150 पर सेविका पद पर वैध तरीके से हुआ था। चूँकि वे सभी मापदण्डों को पूरा करती थी। पूर्व से उसी आँगनबाड़ी केन्द्र पर आवेदन के आधार पर सहायिका पद पर कार्यरत थी। सहायिका पद के लिए दाखिल आवेदन पत्र पर जन्म तिथि–10.02.1984 अंकित है।

03. सहायिका पद पर चयन के समय आवेदन दाखिल करते वक्त कोई शैक्षणिक प्रमाण–पत्र विपक्षी के तरफ से दाखिल नहीं की गयी।

23.9.11

04. विपक्षी मनमोद संस्कृत उच्च विद्यालय, बघवा द्वारा संचालित परीक्षा उर्त्तीण होकर सेविका पद के लिए आवेदन दाखिल की थी, जिसमें विपक्षी का जन्म तिथि–10.02.1984 अंकित है जो सही एवं दुरूस्त हैं। इसके अलावे कोई अन्य जन्म तिथि का प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया गया है।

05. अपीलार्थी का यह कहना है वर्ग–7 का शैक्षणिक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है, सरासर झुठा एवं मनगढन्त है तथा उस प्रमाण–पत्र पर मेरा हस्ताक्षर भी नहीं हैं।

06. केन्द्र संख्या–150 अत्यन्त पिछड़ा वर्ग बाहुल्य क्षेत्र हैं।

07. अपीलार्थी कुमकुम कुमारी के ससुर वार्ड नं0–14 के निर्वाचित पैक्स अध्यक्ष थे तथा देवर सरकारी डॉक्टर थे। अपीलार्थी वार्ड नं0–14 के निवासी हैं, जबकि विपक्षी वार्ड नं0–13 के। विपक्षी के ससुर, सास, पति कोई सरकारी सेवा में नहीं हैं।

08. विपक्षी चयन के सभी मापदण्डों को पूरा करती हैं तथा अपीलार्थी द्वारा लगाया गया आरोप सरासर गलत है।

09. विपक्षी का मेधा अंक 50.57 है, जबकि अपीलार्थी का 49.71 है।

अन्ततः विपक्षी ने प्रस्तुत अपील को खर्चा के साथ खारीज करने की याचना की है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। आँगनबाड़ी का पोषक क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा वर्ग बाहुल्य है। अपीलार्थी कुमकुम कुमारी पति–धीरज कुमार सिंह, वार्ड संख्या–14 के निवासी हैं तथा वे पोषक क्षेत्र के बाहर के हैं एवं देवर सरकारी डॉक्टर हैं। नीलम देवी पति–श्री राजेन्द्र शर्मा, वार्ड संख्या–13 पोषक क्षेत्र के निवासी हैं। इनकी आय विज्ञापन के वर्ष, 2012 में पहली जनवरी को 40 वर्ष से कम है। अतः आँगनबाड़ी सेविका के पद पर नीलम देवी, पति–श्री राजेन्द्र शर्मा का किया गया चयन सही प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S) सहरसा द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्कता प्रतीत नहीं होती।

अतः प्रस्तुत अपीलवाद को खारिज किया जाता है। मूल अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

23.5.18

जिलाधिकारी,
सहरसा।

23.5.18

जिलाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक 1518-2 /विधि, सहरसा, दिनांक 26-09-2017.

प्रतिलिपि :– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
25.09.017